इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019—फाल्गुन 10, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14/15th February 2019

No.A-561.—In exercise of the powers conferred by Articles 225 of the Constitution of India, Section 54 of the States Reorganisation Act, 1956, clauses 27 and 28 of the letters patent, Section 3 of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya ((Khandpeeth ko Appeal) Adhiniyam, 2005, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya pradesh Rules, 2008, Namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Chapter-XII.—

After Rule 6, the following Rule shall be inserted :—

"6A, In a criminal appeal where a sentence of imprisonment for a term 10 years or more has been imposed, an application for suspension of sentence shall be posted before the Principal Registrar/Registrar (Judicial) within three days of filing and if no written objection is filed within next three days by the State then the suspension application shall be listed without delay before the bench;

Provided that an application for temporary suspension of sentence on the ground other than on merits shall be posted directly before the bench within three days of filing."

जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2019

क्र. सी.-802.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 और मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 594 पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"595 दिव्यांग व्यक्ति के लिए विशेष उपबंध :—

न्यायालय, जहां भी आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी अभिवचन या दस्तावेज की प्रति किसी व्यक्ति को ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा."

2. यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

No. C-802.—In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules,—

1. After rule 594, the following rule shall be added, namely :—

"595. Special provision for person under disability.—The Court may, wherever it deems necessary, direct any person or authority to provide copy of any pleading or document to any person in Braille script".

2, This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 433 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"434 दिव्यांग व्यक्ति के लिए विशेष उपबंध :—

न्यायालय, जहां भी आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी अभिवचन या दस्तावेज की प्रति किसी व्यक्ति को ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा."

2. यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

In exercise of the powers conferred by Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules,—

1. After rule 433, the following rule shall be added, namely :—

"434. **Special provision for person under disability.**—The Court may, wherever it deems necessary, direct any person or authority to provide copy of any pleading or document to any person in Braille script".

2. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालय अभिलेख का डिजीटलीकरण नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, उप-नियम (3) का लोप किया जाए.

2. नियम 5 में—

(1) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) भौतिक अभिलेखों की स्कैन की हुई तथा डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित छवियां ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे माध्यम में रखी जाएंगी जैसा कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं."

(2) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(7) मुख्य न्यायाधिपति, इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (दांडिक) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेंगे."

(3) टीप का लोप किया जाए.

The High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the District Courts of Madhya Pradesh Digitization of Records Rules, 2016, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, sub-rule (3) shall be omitted.

2. In rule 5,—

(1) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(5) The scanned and digitally signed images of the physical records, shall be kept in such format and in such medium as may, from time to time, be specified by the Chief Justice of the High Court of Madhya pradesh.";

(2) After sub rule (6), the following sub-rule shall be added, namely :—

"(7) The Chief Justice may, from time to time, issue directions for effective implementation of these Rules and the Madhya pradesh Civil Courts Rules, 1961 and Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal).";

3. The Note shall be omitted.

REGISTRAR GENERAL
High Court of Madhya Pradesh

साक्षियों एवं अभियुक्त की अनुपलब्धता के कारण न्यायिक कार्यवाहियों में होने वाली देरी से बचने के आशय से सुगम उपयोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की तत्काल आवश्यकता तथा उन गवाहों के साक्ष्य को अभिलिखित करने के उद्देश्य से है जो कि न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं. इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी त्वरित विचारण एवं त्वरित न्याय के लिए एक अच्छा साधन है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक एकीकृत वेब प्रौद्योगिकी होगी, जो इन्टरनेट/इन्ट्रानेट, वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.) पर निर्बाध रूप से चलने में सक्षम है, जो मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों को गवाहों, अभियुक्त तथा अन्य हितधारकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अनुमति प्रदान करती है.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित धारा 122 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 व मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजन से साक्ष्यों, अभ्युक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं.

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश के जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2018" है.

(2) यह मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिला न्यायालयों की स्थापना को लागू होंगे.

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाऐंः—**

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "दण्ड प्रक्रिया संहिता" से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973;

(ख) "इलेक्ट्रोनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" में उसके लिए समुनदेशित किया गया है;

(ग) "दिशा-निर्देश" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी तथा इन नियमों से संलग्न दिशा-निर्देश;

(घ) "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग" से अभिप्रेत हैं तथा इसमें सम्मिलित है, ऑडियो और वीडियो डेटा संचालित करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क का उपयोग कर विभिन्न स्थानों पर दो से अधिक प्रतिभागियों के मध्य सम्मेलन आयोजित करना.

(2) उन शब्दों तथा वाक्यांशों के, जो इनमें प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो "मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961", "नियम तथा आदेश (दांडिक)" तथा "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" में उनके लिए समुनदेशित किए गए है.

3. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य की रिकॉर्डिंगः—**

(1) जहॉ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधोसंरचना उपलब्ध है, वहॉ साक्षी, यथासंभव, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिशिष्ट—एक में विनिर्दिष्ट रीति में (जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकेंगे) इलेक्ट्रोनिकली परीक्षित किया जा सकेगा.

(2) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्राथमिक रूप से दूरस्थ स्थान के साक्षियों के लिए होगी.

(3) जहॉ न्यायालय का यह मत है कि साक्षी को वास्तव में दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता होने के कारण, उसका साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावी रूप से अभिलेखित नहीं किया जा सकता, वहॉ न्यायालय अपने विवेकाधिकार से उक्त साक्षी का परीक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने से इंकार कर सकता है.

(4) लोक अभियोजक के अतिरिक्त, यदि कोई पत्रकार किसी साक्षी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण करने का प्रस्ताव करता है तो वह अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा.

(5) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण के लिए प्रस्तावित साक्षी, यदि अपेक्षा की जाती है तो, न्यायालय की संतुष्टि के लिए अपना पहचान-पत्र प्रदर्शित करेगा.

(6) साक्षी को आहूत एवं परीक्षण करने तथा साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि अथवा नियम के अन्य सभी प्रावधान यथोचित परिवर्तन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण करने हेतु लागू होंगे.

(7) साक्षी के अभिसाक्ष्य की प्रति तैयार की जाएगी एवं अभिलेख के साथ रखी जाएगी.

(8) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण के खर्च एवं लागत, यदि वह सरकार द्वारा देय न हो तो ऐसी परीक्षा का प्रस्ताव करने वाले पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा.

(9) न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया आयुक्त अभिसाक्ष्य का अभिलेखन करते समय इन नियमों का पालन करेगा.

4. **न्यायिक प्रतिप्रेषण:**—न्यायालय, अपने विवेकाधिकार द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त का निरोध अधिकृत कर सकता है.

परन्तु यह कि प्रथम बार के न्यायिक प्रतिप्रेषण अथवा पुलिस प्रतिप्रेषण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान नहीं किया जाएगा.

5. **आरोप की विरचना:**—न्यायालय, अपने विवेकाधिकार द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दांडिक विचारण में आरोप विरचित कर सकता है.

6. **अभियुक्त का परीक्षण:**—न्यायालय, अपने विवेकाधिकार द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है.

7. **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कार्यवाही.**—न्यायालय, अपने विवेकाधिकार द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसी साक्षी अथवा अभियुक्त की परीक्षा कर सकता है.

8. जहां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है, तब ऐसा तथ्य आदेश-पत्रिका में विशेष रूप में उल्लेखित किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति, जो कि न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, का हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ चिन्ह किसी भी दस्तावेज पर प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

9. **प्ली बार्गेनिंग/अभिवाक् चर्चा.**—ऐसा अभियुक्त, जो पूर्व में दोषसिद्ध नहीं किया गया है, के आवेदन पर, न्यायालय, अपने विवेकाधिकार द्वारा, अभियुक्त की पीड़ित के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर सकता है. न्यायालय, संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं को बैठक में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर सकता है. जहॉ, बैठक के पश्चात्, प्रकरण के संतोषजनक निराकरण की संभावना है, न्यायालय ऐसा तथ्य अभिलिखित करेगा तथा अपने विवेकाधिकार द्वारा, प्रकरण अभिवाक् चर्चा के आधार पर विधि अनुसार निराकृत कर सकता है.

परिशिष्ट—एक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिशा-निर्देश

1. **सामान्य:**—(1) इन दिशा-निर्देशों में "कोर्ट" प्वाइंट" के संबंध में अभिप्रेत है—न्यायालय कक्ष अथवा अन्य स्थान जहां न्यायालय की बैठक हो, अथवा जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य को अभिलिखित करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त बैठता है अथवा वह स्थान जहां जांच-अधिकारी बैठता है तथा "रिमोट प्वाइंट" वह स्थान है जहां व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना या प्रस्तुत होना अपेक्षित है.

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके उपस्थित होने अथवा प्रकट होने की आवश्यकता हो, में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है—जिसकी अभिसाक्ष्य अथवा कथन अभिलिखित करने की आवश्यकता है अथवा जिसकी उपस्थिति में कुछ कार्यवाहियां अभिलिखित की जानी है अथवा एक अधिवक्ता जो किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करना चाहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष निवेदन करना चाहता है अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत होने के लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञात है.

(3) जहॉ तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई कार्यवाही न्यायिक कार्यवाहियों जैसे ही संचालित की जाएगी तथा समान शिष्टाचार तथा नवाचार (प्रोटोकॉल) का पालन किया जाएगा. "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" तथा "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872" के प्रावधानों सहित न्यायिक कार्यवाहियों को लागू समस्त संबंधित कानूनी प्रावधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु लागू होंगे.

(4) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ सभी मामलों में प्रयोग में लाई जा सकेंगी जिनमें प्रतिप्रेषण (रिमांड), जमानत आवेदन-पत्र तथा दीवानी और दांडिक विचारण में, जहॉ वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होना अपेक्षित किंतु वह व्यक्ति राज्यांतरिक, अंतरराज्यीय अथवा विदेश में अवस्थित है. तथापि, यह दिशा-निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु लागू नहीं होंगे.

(5) न्यायालय को लागू दिशा-निर्देश यथावश्यक परिवर्तन सहित साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त तथा जॉच संपादित करने वाले जॉच अधिकारी पर लागू होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्देशित करने वाले न्यायालय के संदर्भ में "जॉच अधिकारी" सम्मिलित है, जब तक कि अन्यथा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति:**—न्यायालय, स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार अथवा साक्षी के आवेदन पर, तर्कसंगत आदेश द्वारा निर्देशित कर सकेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित होगा या परीक्षित होगा या साक्ष्य देगा या न्यायालय को निवेदन करेगा.

3. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रारंभिक व्यवस्था.**—(1) कोर्ट-प्वाइंट तथा रिमोट प्वाइंट दोनों स्थान पर समन्वयक होंगे.

(2) उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति कोर्ट-प्वाइंट पर समन्वयक होगा. प्वाइंट

(3) जिला न्यायालयों में, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति कोर्ट-प्वाइंट तथा रिमोट प्वाइंट पर भी समन्वयक होगा.

(4) निम्न में से कोई भी रिमोट प्वाइंट पर समन्वयक हो सकता है:—

(एक) जहॉ, वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति अथवा हाजिरी आवश्यक है, विदेश में है, तब न्यायालय निम्नलिखित में से किसी को समन्वयक निर्दिष्ट कर सकता है:—

(क) वणिज्यिक दूतावास/दूतावास के अधिकारी.

(ख) उचित रूप से प्रमाणित नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त.

(दो) जहॉ, वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होना आवश्यक है, किसी अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में है, कोई जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी जो संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया हो.

(तीन) जहां, वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होना आवयक है, अभिरक्षा में है, वहॉ संबंधित जेल अधीक्षक अथवा उसके द्वारा कोई नामित अन्य जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी.

(चार) जहॉ, वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होना सरकारी अथवा निजी अस्पताल में है, आवश्यक है, जो या तो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकास अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाए, वहॉ उक्त अस्पताल का मेडिकल अधीक्षक अथवा प्रभारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अन्य कोई जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी.

(पांच) जहॉ, वह व्यक्ति किशोर अथवा शिशु है, जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होना आवश्यक है, जो किसी पर्यवेक्षण गृह/ विशेष गृह/बाल गृह/आश्रय गृह में रहवासित है, वहॉ उस गृह का अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अन्य कोई जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी.

(छ:) जहॉ उपस्थिति या हाजिर होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, किसी अन्य सरकारी संगठन या संस्था की अभिरक्षा या देखभाल में है, तब ऐसे संगठन या संस्था का अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य उत्तरदायी पदधारी.

(सात) जहॉ उपस्थिति या हाजिर होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति शासकीय सेवक है या किसी शासकीय संगठन में कार्य कर रहा है तब विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य उत्तरदायी पदधारी.

(आठ) जहॉ खण्ड 3(4), उपखण्ड (तीन), (चार), (पांच), (छ:) तथा (सात) के अधीन रिमोट प्वाइंट पर किसी समन्वयक की नियुक्ति की जानी है और उस कार्यालय, संगठन या संस्था में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, संबंधित न्यायालय, उस जिले के जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता में ऐसा रिमोट प्वाइंट अवस्थित है को समन्वयक नियुक्त करने के लिए तथा ऐसी रिमोट प्रास्थिति के न्यायालय परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक आवेदन करेगा.

(नौ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, जैसा न्यायालय द्वारा आदेश किया जाए.

(5) समन्यक दोनों प्वाइंट पर यह सुनिश्चित करेगा कि दिशा-निर्देश क्रमांक 4 में उल्लिखित अपेक्षाएं, न्यायालय प्वाइंट तथा रिमोट प्वाइंट पर ठीक स्थिति में हैं तथा दोनों प्वाइंट पर अग्रिम परीक्षण करेगा जिससे तकनीक की समस्या का निराकरण हो जाए और बिना किसी अवरोध के कार्यवाही पूर्ण हो सके.

(6) समन्वयक रिमोट प्वाइंट पर यह सुनिश्चित करेगा कि—

(एक) उपस्थिति या हाजिर होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति उपलब्ध है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चिंहित कक्ष में अधिसूचित समय से कम से कम 30 मिनिट पूर्व तैयार रहे.

(दो) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में स्थापित यंत्र के सिवाय कोई अन्य यंत्र अनुज्ञात न किया जाए.

(तीन) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रविष्टि कि विनियमित की जाए.

(चार) परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति के बगैर, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मदद, प्रेरणा अथवा सिखाया न जाये तथा वह किसी दस्तावेज, लिपि अथवा यंत्र का संदर्भ न हो.

(7) (एक) जहॉ किसी व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किया जाना है अथवा ऐसा करना अन्यथा समुचित है, वहॉ न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम रूप से भेजेगा तता उपयुक्त प्रकरणों में कार्यवाही के अभिलेख का संपूर्ण अथवा किसी भाग की अपरिवर्तन योग्य डिजीटल स्कैन प्रतियॉ खण्ड 3 (4) में परिभाषित संबंधित प्राधिकारी के अधिकारिक ई-मेल अकाउंट अथवा एन.आई.सी. या अन्य कोई भारतीय सेवा प्रदाता के माध्यम से रिमोट प्वाइंट के समन्वयक को ई-मेल द्वारा भेज सकेगा.

(दो) कोई-प्वाइंट के समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिमोट प्वाइंट के समन्वयक के पास कार्यवाही के अभिलेख के समस्त भाग अथवा कुछ भाग की प्रमाणित प्रतियॉ या अपरिवर्तन योग्य स्कैन प्रति का प्रिंट-आउट सील बंद कवर में है अथवा न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से अग्रिम में भेजी गई निर्धारित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की सॉफ्ट कॉपी है, परंतु उपस्थित अथवा प्रस्तुत होने वाले व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति न्यायालय की अनुज्ञा से ही दी जाएगी.

(8) न्यायालय, रिमोट प्वाइंट या कोर्ट प्वाइंट, जहॉ कहीं भी यह अधिक सुविधाजनक हो, समन्वयक को उपलब्ध कराने के लिए आदेश करेगा:—

(एक) एक अनुवादक, ऐसी दशा में जहॉ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति न्यायालय भाषा से परिचित नहीं है;

(दो) सांकेतिक भाषा में विशेषज्ञ व्यक्ति जहां परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति वाक् तथा/अथवा श्रव्य बाधित है;

(तीन) दस्तावेज पढ़ने हेतु जहॉ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति दृष्टि-बाधित है;

(चार) दुभाषिया अथवा विशेष शिक्षक जैसी स्थिति हो, जहॉ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति अस्थाई या स्थाई रूप से मानसिक अथवा शारीरिक दिव्यांग हो.

4. **वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूनतम आवश्यकताऍं:—**

(एक) डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर;

(दो) निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले यंत्र;

(तीन) निर्बाध इंटरनेट संयोजकता सुनिशिचित करने वाले यंत्र;

(चार) वीडियो कैमरा;

(पांच) माइक्रोफोन तथा स्पीकर;

(छः) डिसप्ले यूनिट;

(सात) प्रिंटर;

(आठ) स्कैनर, मोबाईल स्कैनर सम्मिलित है;

(नौ) निजता सुनिशिचित करते हुए सुविधाजनक बैठक व्यवस्था;

(दस) पर्याप्त प्रकाश;

(ग्यारह) जहॉ तक संभव हो तापावरोधन/उचित श्रवण गम्यता.

5. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लागत:**—वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों को सुविधाजनक बनाने हेतु न्यायालय, शिकायतकर्ता एवं साक्षियों के खर्चों के भुगतान से संबंधित नियम/निर्देश, जैसा कि समय-समय पर प्रचलित हो, को ध्यान में रखते हुए खर्च, यदि कोई हो, के संबंध में, जैसा उचित समझती है, आदेश कर सकती है.

6. **सामान्य प्रक्रिया:**—(1) वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या प्रस्तुति आवश्यक है, की पहचान की पुष्टि रिमोट प्वाइंट पर समन्वयक के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही के दौरान न्यायालय द्वारा की जाएगी तथा उक्त पहचान से संबंधित टिप्पणी संबंधित न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाएगा.

(2) सिविल प्रकरणों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की उपस्थिति अथवा प्रस्तुति का निवेदन करने वाला पक्षकार न्यायालय को, उस व्यक्ति की अवस्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके उपस्थित अथवा प्रस्तुत होने संबंधी उसकी रजामंदी स्थान तथा ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की पुष्टि करेगा तथा ऐसी पुष्टि की टिप्पणी संबंधित न्यायालय द्वारा अभिलिखित की जाएगी.

(3) आपराधिक प्रकरणों में, जहॉ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति अभियोजन साक्षी है, या न्यायालय साक्षी है या अभियोजन के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति है, वहॉ अभियोजन तथा जहॉ, परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति बचाव साक्षी है अथवा प्रतिरक्षा के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति है, वहॉ बचाव अधिवक्ता अथवा अभियुक्त, न्यायालय को उसकी अवस्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुत होने की रजामंदी, स्थान तथा ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की पुष्टि न्यायालय को करेगा.

(4) परीक्षित या उपस्थित होने वाले व्यक्ति के अभियुक्त होने की दशा में अभियोजन/बचाव अधिवक्ता उसकी रिमोट प्वाइंट पर अवस्थिति की पुष्टि करेगा.

(5) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सामान्यत: न्यायालयीन समय के दौरान होगी, तथापि न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय के संबंध में, जैसा परिस्थितियों निर्देशित करें, उपयुक्त निर्देश पारित कर सकेगा.

(6) कथन के प्रतिलेखन सहित कार्यवाही का अभिलेख न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन कोर्ट प्वाइंट पर तैयार किया जाएगा तथा तद्नुसार प्रचलित प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा.

(7) यदि डिजिटल हस्ताक्षर दोनों प्वाइंटस पर उपलब्ध हैं, तो कोर्ट प्वाइंट पर पीठासीन अधिकारी द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित प्रतिलेख की साफ्ट कॉपी एन.आई.सी. अथवा अन्य किसी भारतीय सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यालयीन ई-मेल द्वारा रिमोट प्वाइंट पर भेजी जाएगी, जहॉ उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा तथा साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा. समन्वयक द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित कथन की स्कैन कॉपी ई-मेल द्वारा कोर्ट प्वाइंट पर भेजी जाएगी. तत्पश्चात् रिमोट प्वाइंट के समन्वयक द्वारा, अधिमानत: तीन दिवस के भीतर हार्ड-कॉपी भी कोर्ट प्वाइंट पर मान्यता प्राप्त कूरियर/पोस्ट से भेजी जाएगी.

(8) जहॉ डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है, वहॉ कोर्ट प्वाइंट पर प्रतिलेख का प्रिंट आउट पीठासीन अधिकारी तथा पक्षकारों के प्रतिनिधि द्वारा, यदि कोई हों तो,द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा एन.आई.सी. या अन्य किसी भारतीय सेवा प्रदाता के माध्यम से (गैर संपादन योग्य) स्कैन्ड प्रारूप ई-मेल द्वारा रिमोट प्वाइंट पर भेजा जाएगा जहॉ उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा एवं रिमोट प्वाइंट पर साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित एवं समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा. इस तरह से हस्ताक्षरित प्रतिलेख की गैर संपादन योग्य स्कैन्ड प्रारूप कोर्ट प्वाइंट पर ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा जहॉ इसका प्रिंट आउट निकाला जाकर उसे अभिलेख का भाग बनाया जाएगा. रिमोट प्वाइंट के समन्वयक द्वारा अधिमानत: तीन दिन के भीतर, हार्ड कॉपी भी, मान्यता प्राप्त कूरियर/पेस्ट से कोर्ट प्वाइंट पर भेजी जाएगी.

(9) (एक) यदि संभव हो तो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षियों के परीक्षण का श्रव्य-दृश्य परीक्षण कोर्ट प्वाइंट पर रिकॉर्ड किया जाएगा तथा हैश वैल्यू सहित एन्क्रिप्टेड मास्टर कॉपी न्यायालय में अभिलेख के भाग के रूप में रखी जाएगी.

(दो) न्यायालय, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के निवेदन पर अथवा स्वप्रेरण से, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के श्रेष्ठहितों को ध्यान में रखते हुए, उसकी आयु, लिंग तथा शारीरिक दशा को देखते हुए उसकी निजता की रक्षा करने हेतु उपयुक्त उपाय निर्देशित कर सकेगा.

(10) जहॉ, एक पक्षकार अथवा अधिवक्ता निवेदन करता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कुछ विशेषाधिकृत सूचनाएँ रखी जाती है, वहॉ उस संबंध में न्यायालय उपयुक्त निर्देश पारित करेगा.

(11) जहॉ, वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति अथवा प्रस्तुति अपेक्षित आवश्यक है, किसी बीमारी अथवा अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण कोर्ट प्वाइंट या रिमोट प्वाइंट पर आ सकने में सक्षम नहीं है अथवा जिसकी उपस्थिति अनुचित देरी अथवा खर्चे के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, वहॉ न्यायालय, उसकी सुविधा के स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुलभ बनाने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समन्वयक के रूप में अधिकृत कर सकती है. ऐसे कर्मचारी अथवा समन्वयक को लैपटॉप सहित पोर्टेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, ऐसे स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा.

(12) यदि, कोई पक्षकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति साक्ष्य के अभिलेखन के दौरान रिमोट प्वाइंट पर सशरीर उपस्थित होने की इच्छा रखता है, तो न्यायालय के विपरीत आदेशों के अधीन रिमोट प्वाइंट पर उपस्थिति/प्रतिनिधित्व स्वयं की लागत पर व्यवस्था करने की ऐसे पक्षकार को छूट होगी.

7. **चिकित्सकीय तथा अन्य विशेषज्ञों का परीक्षण** :—(1) मेडिकल तथा अन्य विशेषज्ञों का परीक्षण, जहॉ तक संभव हो, वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम द्वारा ही संचालित किया जाएगा.

(2) जो कोई भी मेडिकल अथवा अन्य विशेषज्ञ को उसके पक्ष में परीक्षित करवाना चाहता है, वह संबंधित विशेषज्ञ की पदस्थापना अथवा व्यवसाय का वर्तमान स्थान उसके ई-मेल का पता दूरभाष नंबर सहित प्रकट करेगा.

(3) समन्वयक, मेडिकल अथवा अन्य विशेषज्ञ एवं संबंधित न्यायालय के साथ परामर्श कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय निश्चित करेगा.

(4) जहॉ उपलब्ध हो, एम.एल.सी. रिपोर्ट्स, पी. एम. रिपोर्ट्स तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स की डिजिटली हस्ताक्षरित साफ्ट कॉपीज/ स्कैन किया हुआ गैर संपादन योग्य प्रतियॉ, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाईट पर डाली जाएगी तथा ऐसा विशेषज्ञ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य के अभिलेखन के दौरान ऐसे दस्तावेज संदर्भित कर सकता है.

(5) क्वेरी रिपोर्टस् सहित समस्त दस्तावेज जो सर्वर पर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे विशेषज्ञों को रिमोट प्वाइंट के समन्वयक के माध्यम से न्यायालय द्वारा पर्याप्त अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे.

(6) यदि मेडिकल अथवा अन्य विशेषज्ञ द्वारा साबित किए जाने वाले दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति अथवा पक्षकार के कब्जे में है, तो न्यायालय, एक समकालिक निर्देश द्वारा उस व्यक्ति को न्यायालय में दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपेक्षा हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल अथवा अन्य विशेषज्ञ की साक्ष्य के अभिलेखन के पर्याप्त समय पूर्व जारी करेगा.

(7) सिविल प्रकरणों में, संबंधित न्यायालय एक तारीख नियत करेगा, जिसके पूर्व मेडिकल विशेषज्ञ अथवा अन्य संबंधित विशेषज्ञ द्वारा मुख्य परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

(8) दिए गए समय पर, न्यायालय मेडिकल या स्थानों के महत्व/अन्य विशेषज्ञ के कथन के अभिलेखन को सुलभ बनाने हेतु दो अथवा तीन रूपों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करेगा, अर्थात् न्यायालय, मेडिकल विशेषज्ञ अथवा अन्य विशेषज्ञ तथा केन्द्रीय/जिला जेल, यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है किन्तु न्यायालय में नहीं है.

(9) जब तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं सिविल अस्पताल, निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा अन्य संबंधित संस्थाओं में स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक मेडिकल या अन्य विशेषज्ञ, जिला/सिविल न्यायालय अथवा कोई अन्य शासकीय संस्था अथवा उपक्रम, जहां कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, जा सकेंगे. जिला न्यायाधीश अथवा संगठन या उपक्रम का प्रमुख, यथास्थिति मेडिकल अथवा अन्य विशेषज्ञों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में पहुंचने की अनुमति देते हुए उनकी साक्ष्य अभिलेखन को सुलभ बनायेंगे.

8. **"रिमोट प्वाइंट" पर स्थित व्यक्ति के समक्ष दस्तावेज रखना.**— यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "रिमोट प्वाइंट" पर किसी व्यक्ति के परीक्षण के दौरान, उसके समक्ष दस्तावेज रखना आवश्यक हो तो न्यायालय निम्नलिखित रीति से दस्तावेज का रखा जाना अनुज्ञा कर सकता है :—

(1) यदि दस्तावेज "कोर्ट प्वाइंट" पर है, तो उसकी प्रति "रिमोट प्वाइंट" पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से, जिसमें डॉक्यूमेंट विजुआलाइजर अथवा वीडियो कैमरा शामिल है, के माध्यम से प्रेषित कर के तथा इस प्रकार प्रेषित प्रति को उस व्यक्ति के समक्ष रखा जाएगा.

(2) यदि दस्तावेज "रिमोट प्वाइंट" पर है, तो इसे उस व्यक्ति के समक्ष रखकर तथा "कोर्ट प्वाइंट" पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से उसकी प्रति, जिसमें डॉक्यूमेंट विजुआलाइजर अथवा वीडियो कैमरा शामिल है, के माध्यम से प्रेषित कर तत्पश्चात् कूरियर/डाक द्वारा "रिमोट प्वाइंट" पर हार्डकॉपी भी भेजी जाएगी.

9. **प्रकरण से असंबंध व्यक्ति.**—(1) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान न्यायालय के प्रतिकूल आदेशों के अध्यधीन रहते हुए तृतीय पत्र यदि कोई हो, को उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है.

(2) जहां, किसी कारण से प्रकरण से असंबंध व्यक्ति "रिमोट प्वाइंट" पर उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति, की कार्यवाहियों के प्रारंभ में "रिपोर्ट प्वाइंट" के समन्वयक द्वारा पहचान की जाएगी तथा न्यायालय को उसकी उपस्थिति का प्रयोजन स्पष्ट किया जाएगा.

10. **कार्यवाहियों का संचालन.**—(1) "कोर्ट प्वाइंट" तथा "रिमोट प्वाइंट" के मध्य संपर्क स्थापित करना तथा पृथक् किया जाना न्यायालय के आदेश द्वारा विनियमित किया जाएगा.

(2) न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करेगा कि—वह व्यक्ति, जो "रिमोट प्वाइंट" पर उपस्थित अथवा अपेक्षित है, स्पष्ट रूप से देखा तथा सुना जा सके तथा इसी प्रकार "रिमोट प्वाइंट" पर परीक्षित होने वाला व्यक्ति न्यायालय को स्पष्ट रूप से देख व सुन सके.

11. **कैमरा** .—(1) न्यायालय संपूर्ण समय "रिमोट प्वाइंट" के कैमरा दृश्य को नियंत्रित करने की क्षमता रखेगा जिससे कक्ष में उपस्थित सभी व्यक्ति पर अबाधित दृष्टि रख सके.

(2) न्यायालय के समक्ष प्रत्येक साक्षी की यथासंभव स्पष्ट छवि होगी जिससे कि ऐसे व्यक्ति की आचरण भाव-भंगिमा का अवलोकन कर सके.

12. **अवशिष्ट खण्ड.**—ऐसे मामले, जिनके संबंध में इन दिशा-निर्देशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किन्तु वे न्याय के हितों को आगे बढ़ाने से संगत रखते हैं, न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे.

There is an urgent need for a user-friendly video conferencing facility for the purpose of recording of evidence of witnesses unable to attend the Court with intent to avoid delay in judicial proceeding due to non-availability of witnesses and accused. The Information Technology is a good tool for speedy trial and speedy justice.

The video conferencing will be an integrated web technology capable of running seamlessly over Internet/Intranet, Virtual Private Network (VPN) which allows the District Courts of Madhya Pradesh to ensure the presence of witness, accused and other Stakeholders.

Therefore, in exercise of the powers, conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 and section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 and section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules to ensure the presence of witness, accused for the purpose of recording of evidence through video conferencing facility, namely:-

RULES

1. **Short title, extent and commencement:**
   (1) These rules may be called the District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing Rules, 2018.
   (2) It shall apply to all District Court Establishments in the State of Madhya Pradesh.
   (3) It shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. **Definitions:** (1) Unless the context otherwise requires,-
   (a) **"Cr.P.C."** means "The Code of Criminal Procedure, 1973".
   (b) **"Electronic records"** shall bear the same meaning as assigned under the Information Technology Act, 2000.
   (c) **"Guidelines"** means the guidelines issued by the High Court of Madhya Pradesh and appended to these rules;
   (d) **"Video conferencing"** means and includes to conduct a conference between two or more participants at different sites by using computer networks to transmit audio and video data.
   (2) The words and phrases not defined herein shall bear the same meaning as assigned to there in the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961, Rules and Orders (Criminal) and the Information Technology Act, 2000.

3. **Recording of Evidence through Video Conferencing:**
   (1) Where infrastructure for video conferencing is available, a witness may be examined electronically through video conferencing, as far as may be, in the manner specified in Appendix-I (as may, from time to time, be amended).

(2) The video conferencing be preferably for outstation witnesses.

(3) Where the Court is of the view that owing to the need to actually show documents to the witness, his evidence cannot be effectively recorded through video conferencing, the Court may, in its discretion decline to examine such witness through video conferencing.

(4) Any party, other than Public Prosecutor, proposing to examine any witness through video conferencing, shall file an application for permission.

(5) The witness proposing to be examined through video conferencing shall display his identity proof to the satisfaction of the Court, if required.

(6) All other provisions of any law or rule for time being in force for summoning and examination of a witness and recording of evidence shall apply *mutatis mutandis* to examination through video conferencing.

(7) A copy of the deposition of witness shall be prepared and kept in record.

(8) The expenses and the cost of examination through video conferencing shall be borne by the party proposing such examination, if it is not payable by the Government.

(9) The Commissioner appointed by the Court shall adhere to these Rules while recording the deposition.

4. Judicial Remand:

The Court may, at its discretion, authorize detention of an accused through video conferencing.

Provided that judicial remand at the first instance; or Police remand shall not be granted through video conferencing.

5. Framing of charge:

The Court may, at its discretion, frame charge in a criminal trial through video conferencing.

6. Examination of accused:

The Court may, at its discretion, examine the accused under Section 313 of Cr.P.C. through video conferencing.

7. Proceeding under Section 164 of the Cr.P.C.:

The Court may, at its discretion, examine a witness or an accused under Section 164 of Cr.P.C. through Video Conferencing.

8. Wherever any action is taken by the Court through video conferencing, that fact shall be specifically mentioned in the Order Sheet; and it shall not be necessary to acquire the signature/thumb impression on any document, of any person who is not physically present before the Court.

9. Plea Bargaining

On an application from an accused not previously convicted, the Court may, in its discretion, arrange a meeting of accused with the victim through video conferencing. The Court may provide an opportunity to the pleaders of respective parties to participate in the meeting where, after the meeting, a satisfactory disposal of the case is probable, the Court shall record this fact and may, in its discretion, dispose of the case on the basis of plea-bargaining, as per law.

APPENDIX -I

VIDEO CONFERENCING GUIDELINES

1 General:-

(1) In these guidelines, reference to the 'Court point' means the Courtroom or other place where the Court is sitting or the place where Commissioner appointed by the Court to record the evidence by video conference is sitting or the place where enquiring officer is sitting and the 'remote point' is the place where person required to be present or appear *via* video conference is located.

(2) Person required to be present or appear includes a person whose deposition or statement is required to be recorded or in whose presence certain proceedings are to be recorded or an Advocate who intends to cross-examine a witness or any person who is required to make submissions before the Court or any other person who is permitted by the Court to appear through video conference.

(3) Wherever possible, proceedings by way of video conference shall be conducted as judicial proceedings and the same courtesies and protocols will be observed. All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the Indian Evidence Act, 1872 shall apply to the recording of evidence by video conference.

(4) Video conferencing facilities can be used in all matters including remands, bail applications and in civil and criminal trials where a person required to be present or appear is located intrastate, interstate, or overseas. However, these guidelines will not apply to the confessions under Section 164 of the Cr.P.C.

(5) The guidelines applicable to a Court will mutatis mutandis apply to a Commissioner appointed by the Court to record the evidence and the enquiry officer conducting the enquiry. The reference to 'Court' directing Video Conferencing includes the Enquiry Officer conducting the enquiry, unless the context otherwise requires.

2. Appearance by video conference:-

A Court may, either suo motu or on application of a party or a witness, direct by reasoned order that any person shall appear before it or be examined or give evidence or make a submission to the Court through video conference.

3. Preparatory arrangements for video conference:—

(1) There shall be co-ordinators both at the court point as well as at the remote point.

(2) In the High Court, person nominated by the High Court shall be the co-ordinator at the court point.

(3) In the District Courts, a person nominated by the High Court or the District Judge, shall be the co-ordinator at the court point as well as the remote point.

(4) The co-ordinator at the remote point may be any of the following:-

(i) Where the person required to be present or appear is overseas, the Court may specify the co-ordinator out of the following:-

(a) the official of Consulate/Embassy of India,

(b) duly certified Notary Public/Oath Commissioner,

(ii) Where the person required to be present or appear is in another State/U.T, any responsible official as may be nominated by the District Judge concerned.

(iii) Where the person required to be present or appear is in custody, the concerned Jail Superintendent or any other responsible official nominated by him.

(iv) Where the person required to be present or appear is in a hospital, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, the Medical Superintendent or In-charge of the said hospital or any other responsible official nominated by him.

(v) Where the person required to be present or appear is a juvenile or a child who is an inmate of an Observation Home/Special Home/Children's Home/ Shelter Home, the Superintendent/Officer In-charge of that Home or any other responsible official nominated by him.

(vi) Where the person required to be present or appear, is in custody or care of any other government organisation or institution, the Superintendent/Officer In-Charge of such organisation or institution or any other responsible official nominated by him.

(vii) Where the person required to be present or appear is a government servant or working in any government organisation, the Head of the Office or any other responsible official nominated by him.

(viii) Wherever co-ordinator is to be appointed at the remote point under clause 3(4), sub-clause (iii), (iv), (v), (vi)

and (vii) and video conferencing facilities are not available in that Office, organisation or institution, the Court concerned will make formal request to District Judge concerned in whose jurisdiction the remote point is located to appoint a co-ordinator and to provide facility of Video conferencing from Court premises of such remote location.

(ix) In case of any other person, as may be ordered by the Court.

(5) The co-ordinators at both the points shall ensure that the minimum requirements as mentioned in the Guideline No.4 are in position at Court point and remote point and shall conduct a test between both the points well in advance, to resolve any technical problem so that the proceedings are conducted without interruption.

(6) It shall be ensured by the co-ordinator at the remote point that:-

(i) The person required to be present or appear is available and ready at the room earmarked for the video conference at least 30 minutes before the scheduled time.

(ii) No other recording device is permitted except the one installed in the video conferencing room.

(iii) Entry into the video conference room is regulated.

(iv) The person to be examined is not helped, prompted or tutored by any other person and is not referring to any document, script or device without the permission of the Court during his examination.

(7) (i) Where the witness is to be examined through video conferencing or it is otherwise expedient to do so, the Court shall send sufficiently in advance the schedule of video conference, and may send in appropriate cases, non-editable digital scanned copies of all or any part of the record of the proceeding on official E-mail account of the concerning authority defined in clause 3(4) or by email through NIC or any other Indian service provider to the co-ordinator at remote point.

(ii) It shall be ensured by the co-ordinator at the court point that the co-ordinator at the remote point has certified copies or print out of non-editable scanned copies of all or any part of record of proceeding in a sealed cover or the soft copy thereof sent by the Court sufficiently in advance of the scheduled video conference. But, the same shall be permitted to be utilised by the person to be present or appear, under permission of the Court.

(8) The Court shall order the co-ordinator at the remote point or at the court point wherever it is more convenient, to provide:-

(i) a translator in case the person to be examined is not conversant with Court language;

(ii) an expert in sign languages in case the person to be examined is speech and/or hearing impaired;

(iii) for reading of documents in case the person to be examined is visually challenged;

(iv) an interpreter or special educator, as the case may be, in case the person to be examined is temporarily or permanently mentally or physically disabled.

4. Minimum requisites for video conference:-

(i) A desktop or laptop computer

(ii) Device ensuring uninterrupted power supply

(iii) Device ensuring uninterrupted internet connectivity

(iv) Video Camera

(v) Microphones and speakers

(vi) Display unit

(vii) Printer

(viii) Scanner including mobile scanner

(ix) Comfortable sitting arrangements ensuring privacy

(x) Adequate lighting

(xi) Insulations as far as possible/proper acoustics

5. Cost of video conferencing:-

The court may make an order as to expenses, if any, in facilitating proceedings through video conferencing, as it considers appropriate taking into account rules/instructions regarding payment of expenses to complainant and witnesses as may be prevalent from time to time.

6. Procedures generally:-

(1) The identity of the person required to be present or appear shall be confirmed by the court with the assistance of the co-ordinator at remote point at the time of proceedings through video conferencing and a note to such identification shall be recorded by the concerned Court.

(2) In civil cases, party requesting for presence or appearance of any person through video conferencing shall confirm to the Court his location, his willingness to be present or appear by video conferencing, place and facility of such video conferencing and a note to such confirmation shall be recorded by the concerned Court.

(3) In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness or court witness or a person is to make submission for prosecution, the prosecution and where person to be examined is a defence witness or a person is to make submission for defence,

the defence counsel or the accused will confirm to the Court his location, his willingness to be present or appear by video conferencing, place and facility of such video conferencing.

(4) In case person to be examined or appear is an accused, prosecution/defence counsel will confirm his location at remote point.

(5) Video conference shall ordinarily take place during the court hours. However, the Court may pass suitable directions with regard to timings of the video conferencing as the circumstances may dictate.

(6) The record of proceedings including transcription of statement shall be prepared at the court point under supervision of the Court and accordingly authenticated as per existing rules of procedure.

(7) If digital signatures are available at both points, the soft copy of transcript digitally signed by the presiding officer at the court point shall be sent by official e-mail account through NIC or any other Indian service provider to the remote point where printout of the same will be taken and signed by the deponent. Scanned copy of the statement digitally signed by co-ordinator at the remote point would be sent by e-mail to the court point. The hard copy would also be sent subsequently, preferably within three days by the co-ordinator at the remote point to the court point by recognised courier/post.

(8) Where digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding officer and the representative of the parties, if any, at the Court point and shall be sent in non-editable scanned format by e-mail through NIC or any other Indian service provider to the remote point where printout of the same will be taken and signed by the deponent and counter signed by the co-ordinator at the remote point. Non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by email to the Court point where printout of the same will be taken and shall be made part of the record. The hard copy would also be sent subsequently, preferably within three days by the co-ordinator at the remote point to the court point by recognised courier/post.

(9) (i) The audio-visual of the examination of witnesses through video conferencing shall be recorded at the court point. An encrypted master copy with hash value shall be retained in the court as a part of the record, if possible.

(ii) The Court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interests of the person to be examined, direct appropriate measures to protect his privacy keeping in mind his age, gender and physical condition.

(10) Where a party or a lawyer requests that in the course of video-conferencing some privileged communication may have to take place, Court will pass appropriate directions in that regard.

(11) Where a person required to be present or appear is not capable of visiting court point or remote point due to any sickness or other physical infirmity, or whose presence cannot be secured without undue delay or expense, the court may authorise any of its subordinate staff as coordinator to facilitate video conferencing from place of his convenience. Such staff or coordinator can be provided with portable video conferencing system including Laptop to facilitate video conferencing from such place.

(12) In case any party or his/her authorized person is desirous of being physically present at the remote point at the time of recording of the evidence, it shall be open for such party to make arrangements at party's own costs including for appearance/representation at the remote point subject to orders to the contrary by the Court.

7. Examination of Medical and other experts:-

(1) The examination of medical and other experts shall as far as practicable, be conducted through, video conferencing.

(2) Whoever wishes to examine a medical or other expert in his favour shall disclose the current place of posting or practice of the concerned expert along with his email address and/or contact number.

(3) The co-ordinator shall fix the time of the video conferencing in consultation with the Medical or other expert and the Court concerned.

(4) Where available, digitally signed soft copies/scanned non-editable copies of the MLC reports, PM reports and FSL reports shall be posted on official website of High Court of Madhya Pradesh or the State Government and such expert can refer those documents at the time of recording of evidence through Video Conferencing.

(5) All documents which are not available over the server including query reports shall be made available to such experts well in advance by the Court through the co-ordinator at remote point.

(6) If the documents to be proved by the Medical or other expert are in possession of a third person or party, a simultaneous direction would be issued by the Court requiring that person to make available the documents in the Court sufficiently before the time of recording of evidence of the medical or other expert through video conferencing,

(7) In civil cases, the concerned Court will fix a date, before which the examination-in-chief will be furnished by the Medical Expert or other expert concerned, to the Court.

(8) On the given time, the Court will organize two ways or three-ways video conferencing i.e. between Court, Medical Expert or other expert and the Central/District Jail, if the accused is in custody and not in Court to facilitate recording of the statement of the medical or other experts.

(9) Until video conferencing facilities are established in Civil Hospitals, Private Hospitals, Medical Colleges, Forensic Science Laboratories and other related institutions, the medical or other experts may go to the District/Civil Court or any other Govt. organisation or undertaking where video conferencing facility is available. The District Judge or Head of the organisation or undertaking, as the case may be, would facilitate recording of evidence of medical or other experts by permitting them access to the VC rooms.

8. Putting documents to a person at remote point:-

If in the course of examination of a person at remote point by video conference, it is necessary to put a document to him, the Court may permit the document to be put in the following manner:-

(a) if the document is at the court point, by transmitting a copy of it to the remote point electronically including through a document visualizer or video camera and the copy so transmitted being then put to the person,

(b) if the document is at the remote point, by putting it to the person and transmitting a copy of it to the court point electronically including through a document visualizer or video camera. The hard copy would also be sent subsequently to the court point by courier/mail.

9. Persons unconnected with the case:-

(1) Third parties may be allowed to be present during video conferencing subject to orders to the contrary, if any, by the Court.

(2) Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the remote point, then that person shall be identified by the co-ordinator at the remote point at the start of the proceedings and the purpose for his being present explained to the Court.

10. Conduct of proceedings:-

(1) Establishment and disconnection of links between the court point and the remote point would be regulated by orders of the Court..

(2) The Court shall satisfy itself that the person required to be present or appear at the remote point can be seen and heard clearly and similarly that the person to be examined at the remote point can clearly see and hear the Court.

11. Cameras:-

(1) The Court shall, at all times have the ability to control the camera view at remote point so that there is an unobstructed view of all the persons present in the room.

(2) The Court shall have a clear image of each deponent to the extent possible so that the demeanour of such person may be observed.

12. Residuary Clause:-

Such matters with respect to which no express provision has been made in these guidelines shall be decided by the Court consistent with furthering the interests of justice.

ए.के. शुक्ला, रजिस्ट्रार जनरल.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ2-1/2019/सात/शा.-7 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019.

ज्ञापन

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 में किए गए संशोधनों के संदर्भ में विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न संवर्गो के राजस्व अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल में किया गया था, जिसमें कतिपय अधिकारियों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि संशोधन अधिनियम,2018 के पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किसी भी खसरे का बटवारा होने की दशा में उसके एक से अधिक खंड निर्मित होने पर बंटाकन की कार्यवाही तत्कालीन धारा 70 में संर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नक्रमांकित या उपविभाजित करने की शक्तियां बंदोबस्त अधिकारी को प्राप्त रही है, और बंदोबस्त अधिकारियों की ऐसी शक्तियां धारा 90 के अनुसार राजस्व संर्वेक्षण बंद हो जाने के बाद तथा बंदोबस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर को प्राप्त रही हैं। कलेक्टर की ऐसी शक्तियां मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2543–6408–सात–ना–1 दिनांक 27 जून, 1968 के द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त रही हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा यह जानना चाहा गया है कि संशोधन उपरांत अब बंदोबस्त अधिकारी का पद अस्तित्व में नही है ऐसी स्थिति में संर्वेक्षण संख्यांको को पुर्नक्रमाकित या उपविभाजित करने की शक्ति का प्रयोग किस राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है?

2/ उल्लेखनीय है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा संशोधन के पूर्व के संहिता के अध्याय 7 एवं 8 के स्थान पर नया अध्याय– 7 प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 68 में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू–खण्ड संख्यांक को पुर्नक्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति जिला सर्वेक्षण अधिकारी को प्रदत्त है, आगे धारा 76 में यह प्रावधान किया गया है कि भू–सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों मे, अध्याय–7 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर करेगा ।

3/ मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1957) की धारा 25 निम्नानुसार है:–

"**25. Continuation of orders etc, issued under enactments repealed and re-enacted.**-Where any enactment is repealed and re-enacted by a Madhya Pradesh Act with or without modification, then, unless it is otherwise expressly provided, any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the repealed enactment shall, so far as it is not inconsistent with the provisions re-enacted, continue in force, and be deemed to have been made or issued under the provision so re-enacted, unless and until it is superseded by any appointment, notification, order, scheme, rule, regulation, form or bye-law made or issued under the provisions so re-enacted.

जनरल क्लाजेज एक्ट के उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि संशोधन अधिनियम, 2018 के परिणाम स्वरूप संहिता में हुए संशोधन के प्रभाव में जिला बंदोबस्त अधिकारी की

जो शक्तियां बंदोबस्त अवधि के दौरान कलेक्टर को प्रदत्त रही है और अब यह कार्य बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर जिला सर्वेक्षण अधिकारी को सौंपा गया है तथा जिला सर्वेक्षण अधिकारी की यह शक्तियां, जो ऐसे क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त हैं। स्पष्ट है कि संशोधन से पूर्व की धारा 70 की शक्तियां संशोधन उपरांत प्रतिस्थापित धारा 68 के अनुसार कलेक्टर को प्राप्त हैं।

इसी प्रकार तत्कालीन धारा 70 के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 जो कि राजपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1968 में प्रकाशित है, के अनुसार कलेक्टर की उपरोक्त शक्तियां तहसीलदार को सौंपी गयी मानी जाएंगी।

4/ उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक उक्त अधिसूचना दिनांक 27 जून, 1968 किसी उत्तवर्ती अधिसूचना के द्वारा अधिकमित नही कर दी जाती, तब तक उक्त अधिसूचना, यथोचित परिवर्तनों सहित (*mutatis mutandis*), प्रभाव में रहेगी और पालनीय होगी; अर्थात् सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक तथा भू–खण्ड संख्यांक को पुनर्कमांकित करने या उपविभाजित करने या समामेलित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां ऐसे क्षेत्रों में जो भू–सर्वेक्षण के अधीन नही है, में कलेक्टर को प्राप्त होने और उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में तहसीलदार को सौंपी गयी होने के कारण तहसीलदार को प्राप्त है और यह कार्य ऐसे क्षेत्रों में तहसीलदार के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5/ उपरोक्त विधिक स्थिति यद्यपि स्पष्ट है तथापि जानकारी के लिये संप्रेषित है।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.